## अनुपस्थिति लघु-पत्र (2) ABSENTEE NOTICE (2)

## स्कूल में उपस्थिति अनिवार्य है COMPULSORY SCHOOL ATTENDANCE

वेद्यार्थी का नाम
अनुपस्थिति की तिथि/याँ
स्कूल का टेलिफ़ोन नम्बर
प्रिय
आपका बच्चा ऊपर दी गई तिथि या तिथियों पर स्कूल से अनुपस्थित था और उस संबंध में हमें कोई संतोषजनक सूचना नहीं मिली है। ज्ञिक्षा अधिनियम 1990 (Education Act1990) के अंतर्गत आपके बच्चे का ज्ञिक्षा पाने के लिए प्रतिदिन स्कूल आना अनिचार्य है जब तक कि बच्चा बीमार न हो या अनुपस्थिति का कोई अन्य सही कारण न हो। इस अधिनियम के अंतर्गत आपके लिए यह आवश्यक है कि अनुपस्थिति के सात दिन के अन्दर स्पष्टीकरण दें। यदि ऐसा नहीं होता है तो बच्चे की अनुचित अनुपस्थिति दर्ज कर दी जाएगी।
कृपया नीचे दिए गए स्थान में स्पष्टीकरण दें और यह फ़ार्म जल्द से जल्द स्कूल भिजवा दें। अन्यथा आप चाहें तो ऊपर दिए गए फ़ोन नम्बर पर स्कूल से संपर्क करके अपने बच्चे की अनुपस्थिति के बारे में बात-चीत कर सकते/ती हैं।
यदि स्कूल से संपर्क करने में मदद के लिए आपको दुभाषिया चाहिए तो कृपया टेलिफ़ोन दुभाषिया सेवा (Telephone Interprete Service) को 131 450 पर फ़ोन करें व उनसे अपनी भाषा में दुभाषिया माँगें । दुभाषिया स्कूल को फ़ोन करेगा और बात-चीत करने में आपकी मदद करने के लिए लाईन पर ही रहेगा । इस सेवा के लिए आपका कोई खर्चा नहीं होगा ।
आपका भवदीय
प्रधानाध्यापक (Principal)
तिथि
अनुपस्थिति का कारण
Reason for absence
माता-पिता अथवा देखभाल कर्त्ता का नाम
Name of parent or carer माता-पिता अथवा देखभाल कर्त्ता के हस्ताक्षर
Signature of parent or carer तिथि
Date